संख्या-88/2018/3072 ई-2/तेरह-2018-144/2017

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 04 अक्टूबर,2018

विषयः-होटल मादिन एस0-20/53-73-74-102 दी माल रोड, कैण्ट, वाराणसी में एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-360/जि0आ0अ0/बार अनु0/एफ0एल0-7/18-19, दिनांक 16 अप्रैल2018, पत्र संख्या-1481/जि0आ0अ0/बार अनु0/एफ0एल0-6(समिश्र)/18-19, दिनांक 21 जून,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दिनांक 13-4-2018 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी0-106/दस-लाइसेंस-39/एफ0एल0-6, 7/खण्ड-4/वाराणसी/2018, दिनांक 06 अगस्त,2018 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स लव लक्ष्मी लैण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0, ए-15, ब्लाक-बी-1, इक्स0, मोहन कोआपरेटिव आई0एन0डी0 एरिया, दिल्ली के डायरेक्टर श्री जगत किशोर चौरसिया एवं श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री जगत किशोर चौरसिया, नि0 सा0जे0-12/एक्स-ए, नाटीइमली, वाराणसी द्वारा संचालित होटल मादिन एस0-20/53-73-74-102 दी माल रोड, कैण्ट, वाराणसी को एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन एतद्द्वारा इस शर्त के साथ स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि उक्त होटल में सी0सी0टी0वी0 कैमरे की व्यवस्था होने, शान्ति व्यवस्था के दृष्टि से पर्याप्त मेटल डिटेक्टर से हैण्डहेल्ड सुरक्षाकर्मी होने तथा अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में दी गई शर्तों को पूर्ण होने के पश्चात् ही लाइसेंस निर्गत किया जाए।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-88/2018/3072(1) ई-2/तेरह-2018 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी0-106/दस-लाइसेंस-39/एफ0एल0-6, 7/खण्ड-4/वाराणसी/2018, दिनांक 06 अगस्त,2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश राय)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।